कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

पत्रांक –ए0ई0–2/03/निर्माण विविध–1/वर्ग–2/37/2018/खण्ड–2/९९१ दिनांक : 12.11.2020

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ

विषयः– लोक निर्माण विभाग के कतिपय खण्डों में खण्डीय लेखाकार के कार्यों को खण्ड के लिपिकों/सहायकों द्वारा कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि प्रदेश के रेमिटांस विभागों (यथा – लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग इत्यादि) में सरकार द्वारा विभिन्न विकास योजनाओं के कियान्वयन के अन्तर्गत किये जाने वाले व्यय के संबंध में वित्तीय प्रावधानों के समुचित अनुपालन हेतु इस कार्यालय द्वारा उ0प्र0 शासन के वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–6 के प्रावधानों के अन्तर्गत खण्डीय लेखाधिकारियों/खण्डीय लेखाकारों की पदस्थापना की जाती है।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–6 के प्रस्तर 94 एवं 95 में निर्दिष्ट दायित्वों के निर्वहन में खण्डीय अधिकारियों/अधिशासी अभियंताओं को सहायता प्रदान करने के लिए उक्त हस्तपुस्तिका के प्रस्तर–97 के अन्तर्गत महालेखाकार द्वारा खण्डीय लेखाकार संवर्ग के कार्मिकों की तैनाती की जाती है। उक्त प्रस्तर–97 के प्रावधानों के अनुसार खण्डीय लेखाकार संवर्ग से भिन्न किसी भी व्यक्ति की खण्डीय लेखाकार के पद पर तैनाती अनुमन्य नहीं है। यहॉ तक कि यदि अपरिहार्य परिस्थितियों में खण्डीय लेखाकार संवर्ग का कोई पदधारक उपलब्ध नहीं है तो भी महालेखाकार द्वारा ही किसी व्यक्ति को खण्डीय लेखाकार का दायित्व निर्वहन हेतु आदेशित किया जायेगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि खण्डों के वित्तीय संव्यवहारों की शुचिता पर प्रभावी नियंत्रण खण्डीय लेखाधिकारियों/खण्डीय लेखाकारों के माध्यम से महालेखाकार द्वारा की जाती है।

प्रायः ऐसे मामले संज्ञान में आते रहते हैं, जब अधिशासी अभियंताओं द्वारा वित्तीय नियमों के विरूद्ध की गयी अनियमितताओं को इंगित कर खण्डीय लेखाधिकारियों द्वारा उस पर आपत्ति किये जाने के कारण, उनका कार्य खण्ड के लिपिकों तथा सहायकों द्वारा कराया जाने लगता है तथा खण्डीय लेखाधिकारियों को उनके निर्दिष्ट दायित्वों के निर्वहन से वंचित कर दिया जाता है।

प्रत्येक माह खण्डों के मासिक लेखे, संकलन हेतु इस कार्यालय को प्रेषित किये जाते हैं। खण्डीय लेखाधिकारी को उनके कार्यों से वंचित रखने पर लिपिक/सहायक के हस्ताक्षर से खण्ड के मासिक लेखे इस कार्यालय को भेजे जाते हैं। परिणामतः लेखे में कई प्रकार की कमियॉ दृष्टिगोचर होती है।

जब खण्डीय लेखाधिकारियों द्वारा अधिशासी अभियंता के उक्त वित्तीय नियमों के विचलन के कारण लेखे में त्रुटियॉ उद्घाटित की जाती है, तो उनके ऊपर कार्य में अरूचि, लापरवाही तथा प्रायः खण्ड से अनुपस्थित रहने का निराधार आरोप लगाकर उत्पीड़न किया जाता है, जबकि यदि वास्तव में खण्डीय लेखाकार द्वारा अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में कोई शिथिलता/लापरवाही बरती जा रही हो तो अधिशासी अभियंता द्वारा विभाग के उच्चाधिकारियों के अनुमति से खण्डीय लेखाकार के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही हेतु पूर्ण प्रकरण समस्त साक्ष्यों सहित महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित किया जा सकता है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि खण्डों से खण्डीय लेखाधिकारियों/खण्डीय लेखाकारों के अवकाश अथवा अन्य कारणों से अनुपस्थित रहने की स्थिति में लिंक प्रभार की व्यवस्था की गयी है, परन्तु लिंक प्रभार के खण्डीय लेखाधिकारी के स्थान पर खण्ड के लिपिक सहायक को अधिशासी अभियंता द्वारा वरीयता प्रदान की जाती है।

उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि खण्डीय कार्यालयों के वित्तीय संव्यवहारों तथा लेखाओं के संबंध में वित्तीय नियमों के समुचित अनुपालन हेतु खण्डीय लेखाधिकारियों/खण्डीय लेखाकारों के इतर अन्य किसी पदधारक से कार्य कराया जाना वित्तीय हस्तपुस्तिका में वर्णित प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में वित्तीय अनियिमतता होने की संभावना रहती है, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित अधिशासी अभियंता का होता है।

अतः अनुरोध है कि खण्डीय कार्यालयों में वित्तीय शुचिता को बनाये रखने, वित्तीय प्रावधानों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने तथा महालेखाकार के क्षेत्राधिकार में अनावश्यक हस्तक्षेप न करने तथा किसी भी दशा में खण्ड के लेखा संबंधी दायित्वों का निर्वहन खण्डीय लेखाकार संवर्ग से इतर अन्य किसी भी पदधारक से न कराए जाने आदि के सम्बन्ध में आप लोक निर्माण विभाग के विभिन्न खण्डीय अधिकारियों/अधिशासी अभियंताओं को यथोचित निर्देश देने का कष्ट करें।

भवदीय

उप महालेखाकार/डी0ए0सी0सी0

पत्रांक –ए0ई0–2/03/निर्माण विविध–1/वर्ग–2/37/2018/खण्ड–2/विधिक/९९२-९९५ तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. समस्त अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश को कार्यालय की बेवसाइट के माध्यम से।
2. वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
3. समस्त खण्डीय लेखाधिकारी/खण्डीय लेखाकार को कार्यालय की बेवसाइट के माध्यम से।

के.एन.वर्मा
12.11.2020

वरिष्ठ लेखाधिकारी/नि0वि0–1

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

पत्रांक –ए0ई0–2/03/निर्माण विविध–1/वर्ग–2/37/2018/खण्ड–2/१९९ दिनांक : .11.2020

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ

विषयः– सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के कतिपय खण्डों में खण्डीय लेखाकार के कार्यों को खण्ड के लिपिकों/सहायकों द्वारा कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि प्रदेश के रेमिटांस विभागों (यथा – लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग इत्यादि) में सरकार द्वारा विभिन्न विकास योजनाओं के कियान्वयन के अन्तर्गत किये जाने वाले व्यय के संबंध में वित्तीय प्रावधानों के समुचित अनुपालन हेतु इस कार्यालय द्वारा उ0प्र0 शासन के वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–6 के प्रावधानों के अन्तर्गत खण्डीय लेखाधिकारियों/खण्डीय लेखाकारों की पदस्थापना की जाती है।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–6 के प्रस्तर 94 एवं 95 में निर्दिष्ट दायित्वों के निर्वहन में खण्डीय अधिकारियों/अधिशासी अभियंताओं को सहायता प्रदान करने के लिए उक्त हस्तपुस्तिका के प्रस्तर–97 के अन्तर्गत महालेखाकार द्वारा खण्डीय लेखाकार संवर्ग के कार्मिकों की तैनाती की जाती है। उक्त प्रस्तर–97 के प्रावधानों के अनुसार खण्डीय लेखाकार संवर्ग से भिन्न किसी भी व्यक्ति की खण्डीय लेखाकार के पद पर तैनाती अनुमन्य नहीं है। यहॉ तक कि यदि अपरिहार्य परिस्थितियों में खण्डीय लेखाकार संवर्ग का कोई पदधारक उपलब्ध नहीं है तो भी महालेखाकार द्वारा ही किसी व्यक्ति को खण्डीय लेखाकार का दायित्व निर्वहन हेतु आदेशित किया जायेगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि खण्डों के वित्तीय संव्यवहारों की शुचिता पर प्रभावी नियंत्रण खण्डीय लेखाधिकारियों/खण्डीय लेखाकारों के माध्यम से महालेखाकार द्वारा की जाती है।

प्रायः ऐसे मामले संज्ञान में आते रहते हैं, जब अधिशासी अभियंताओं द्वारा वित्तीय नियमों के विरूद्ध की गयी अनियमितताओं को इंगित कर खण्डीय लेखाधिकारियों द्वारा उस पर आपत्ति किये जाने के कारण, उनका कार्य खण्ड के लिपिकों तथा सहायकों द्वारा कराया जाने लगता है तथा खण्डीय लेखाधिकारियों को उनके निर्दिष्ट दायित्वों के निर्वहन से वंचित कर दिया जाता है।

प्रत्येक माह खण्डों के मासिक लेखे संकलन हेतु इस कार्यालय को प्रेषित किये जाते हैं। खण्डीय लेखाधिकारी को उनके कार्यों से वंचित रखने पर लिपिक/सहायक के हस्ताक्षर से खण्ड के मासिक लेखे इस कार्यालय को भेजे जाते हैं। परिणामतः लेखे में कई प्रकार की कमियॉ दृष्टिगोचर होती है।

जब खण्डीय लेखाधिकारियों द्वारा अधिशासी अभियंता के उक्त वित्तीय नियमों के विचलन के कारण लेखे में त्रुटियॉ उद्घाटित की जाती है, तो उनके ऊपर कार्य में अरूचि, लापरवाही तथा प्रायः खण्ड से अनुपस्थित रहने का निराधार आरोप लगाकर उत्पीड़न किया जाता है, जबकि यदि वास्तव में खण्डीय लेखाकार द्वारा अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में कोई शिथिलता/लापरवाही बरती जा रही हो तो अधिशासी अभियंता द्वारा विभाग के उच्चाधिकारियों के अनुमति से खण्डीय लेखाकार के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही हेतु पूर्ण प्रकरण समस्त साक्ष्यों सहित महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित किया जा सकता है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि खण्डों से खण्डीय लेखाधिकारियों/खण्डीय लेखाकारों के अवकाश अथवा अन्य कारणों से अनुपस्थित रहने की स्थिति में लिंक प्रभार की व्यवस्था की गयी है, परन्तु लिंक प्रभार के खण्डीय लेखाधिकारी के स्थान पर खण्ड के लिपिक/सहायक को अधिशासी अभियंता द्वारा वरीयता प्रदान की जाती है।

उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि खण्डीय कार्यालयों के वित्तीय संव्यवहारों तथा लेखाओं के संबंध में वित्तीय नियमों के समुचित अनुपालन हेतु खण्डीय लेखाधिकारियों/खण्डीय लेखाकारों के इतर अन्य किसी पदधारक से कार्य कराया जाना वित्तीय हस्तपुस्तिका में वर्णित प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में वित्तीय अनियिमतता होने की संभावना रहती है, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित अधिशासी अभियंता का होना स्वाभाविक है।

अतः अनुरोध है कि खण्डीय कार्यालयों में वित्तीय शुचिता को बनाये रखने, वित्तीय प्रावधानों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने तथा महालेखाकार के क्षेत्राधिकार में अनावश्यक हस्तक्षेप न करने तथा किसी भी दशा में खण्ड के लेखा संबंधी दायित्वों का निर्वहन खण्डीय लेखाकार संवर्ग से इतर अन्य किसी भी पदधारक से न कराए जाने आदि के सम्बन्ध में आप सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के विभिन्न खण्डीय अधिकारियों/अधिशासी अभियंताओं को यथोचित निर्देश देने का कष्ट करें।

भवदीय

/

उप महालेखाकार/डी0ए0सी0सी0

पत्रांक –ए0ई0–2/03/निर्माण विविध–1/वर्ग–2/37/2018/खण्ड–2/विधिक/१९६-१९९ तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. समस्त अधिशासी अभियंता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, कार्यालय की बेवसाइट के माध्यम से।
2. वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
3. समस्त खण्डीय लेखाधिकारी/खण्डीय लेखाकार को कार्यालय की बेवसाइट के माध्यम से।

के. एन. वर्मा
12.11.2020

वरिष्ठ लेखाधिकारी/नि0वि0–1